31.3.93

सिटी-बोर्ड (नगर-पालिका) जौनपुर की बैठक दिनांक 31.3.93 दिन बुधवार अपरान्ह 4.00 बजे डा० श्री कृष्णकुमार, अध्यक्ष, सिटी-बोर्ड जौनपुर की अध्यक्षता में टाउनहाल में (अध्यक्ष के कार्यकक्ष में) सम्पन्न हुई। जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे, उनके नाम व कार्यवाही निम्न प्रकार है,

	डा० श्री कृष्णकुमार	अध्यक्ष,
1	श्री अनवरजा उर्फ भइय्या जी	मान्य सभासद
2	श्री गणेशनाथ रावत उर्फ मदन रावत	" "
3	" दयाशंकर गुप्त	" "
4	" कैलाशनाथ मौर्य	" "
5	"	" "
6	डा० श्री सुशील श्रीवास्तव	" "
7	श्री शिवकुमार गुप्त	" "
8	श्रीमती सुधा श्रीवास्तव	नामित सदस्या
9	श्री अमरनाथ	" सदस्य
10	" रवीन्द्र प्रताप सिंह	मान्य सभासद
11	श्रीमती विमला सिंह	नामित सदस्या
12	श्री नजीर अहमद	मान्य सभासद
13	" दुबलाल साहू	" "
14	" रमजान खाँ	कनिष्ठ उपाध्यक्ष
15	" शोभनाथ आर्य	मान्य सभासद
16	" मिर्जा ज्यारत हुसैन	" "

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
अधिशासी अधिकारी,
सिटी-बोर्ड जौनपुर
31.3.93

कृष्णकुमार
(डा० कृष्णकुमार)
अध्यक्ष
सिटी-बोर्ड
जौनपुर
31.3.93

31.3.93

प्रस्ताव	निर्णय :-
1. पिछली बैठक दिनांक 29.1.93 की कार्यवाही वाचन पुष्टि –	पढ़ी गयी तथा पुष्टि की गयी
2 सिटी बोर्ड जोधपुर के वित्तीय वर्ष 1992-93 के माह जनवरी, फरवरी 93 का मासिक आय-व्यय लेखा परिषद अवलोकन व अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
3. पत्रावि बाबत नगर में विभिन्न मार्गों की तहबाजारी की वसूली के लिए पूर्व से प्रतिनियुक्त 3 दैनिक मजदूरी पर रखे गये तहबाजारी मोहर्रिर की सेवायें 1-4-93 से 31-12-93 तक 30/- प्रति दिन प्रति मोहर्रिर की दर से समयावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
4. पालिका प्रकाश विभाग में नगर क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था के समुचित संचालन के लिए कार्यरत तीन (3) दैनिक मजदूरी पर 30/- प्रति दिन प्रति मिस्त्री की सेवायें दिनांक 1-4-93 से 31-12-93 तक समयावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद स्वीकृति हेतु।	स्वीकार।

Scanned with OKEN Scanner

क्र.	प्रस्ताव	निर्णय
5	पालिका सफाई विभाग में सफाई कार्य के निष्पादन हेतु 11-10-89 के पूर्व से कार्यरत एवं उक्त तिथि को से सेवाये उनकी पूरी न रही हो, उनकी प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्य करने की शर्त पूरी न करते हों, प्र.न. जो 11-10-89 के पूर्व से कार्यरत रहे हों, को शासनादेश संख्या 171/9-1-92 दिनांक 8.1.92 के निर्देशानुसार सेवा से न निकाला जाय, सम्बन्धी विभागीय निर्देशों के तहत नगर में सफाई जैसी आवश्यक सेवा को दृष्टिगत रखते हुए 15 स्वच्छकार की सेवायें 25/- दैनिक मजदूरी पर स्वीकार किये जाने हेतु दिनांक 1.4.93 से 31-5-93 तक समयावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद के समक्ष स्वीकृति हेतु।	स्वीकार।
6	पालिका सफाई विभाग में सफाई कार्य के निष्पादन हेतु दिनांक 11-10-89 के पूर्व से कार्यरत 8 स्वच्छकार की सेवायें 1.4.93 से 31.5.93 तक 25/- प्रति दिन प्रति वेतन की दर से समयावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद स्वीकृति हेतु।	स्वीकार।

31.3.93

	प्रस्ताव	निर्णय
7	पालिका जलकल विभाग में पेय जलापूर्ति व्यवस्था क्रम में नलकूपों के संचालन हेतु 12 पम्प अटेन्डेन्ट की सेवायें 30/- प्रति पम्प अटेन्डेन्ट प्रति दिन की दर से दैनिक मजदूरी पर 1.4.93 से 31.5.93 तक समयावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
8.	पालिका जलकल विभाग में पम्प लाइनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत आदि कार्य के लिये 4 बेलदारों की सेवायें 25/- प्रति बेलदार प्रति दिन की दर से दैनिक मजदूरी पर 1.4.93 से 31.5.93 तक समयावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
[illegible]	[illegible] बावत सिटी-कोर्ट [illegible] की दुकानों का मासिक किराया जो बहुत ही पुराना है, वर्तमान मंहगाई को ध्यान में रखते हुए, साथ ही शासनादेश व किरायादारों सम्बन्धी अनुबन्ध पत्र में दी गयी शर्तों के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष पर किराया 25% बढ़ाये जाने का प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।

निर्णय

	प्रस्ताव	निर्णय
10	जलकल परिसर में निर्मित दुकानों में से 10 दुकानों की नीलामी टेन्डर प्रक्रिया के अनुरूप की दी गयी है, तत्सम्बन्धी प्रकाशन परिषद के स्वीकारार्थ।	स्वीकार।
11.	अन्य विषय अध्यक्ष की स्वीकृति से	कुछ नहीं

(सत्यप्रकाश आर्य)
अधिशासी - अधिकारी
सिटी - बोर्ड
जौनपुर
31.3.93

(डा० कृष्णकुमार)
अध्यक्ष,
सिटी - बोर्ड
जौनपुर
31.3.93

नाम:- महेशनारायण
परिषद लिपिक
सिटी - बोर्ड
जौनपुर

विशेष प्रस्ताव 31.3.93

सिटी-बोर्ड जौनपुर की बैठक दिनांक 31.3.93 के लिये विशेष कार्य सामग्री

1	सिटी-बोर्ड जौनपुर के लिए वर्ष 93-94 का आय व्ययक जो निम्न प्रकार प्रस्तावित है, परिषद के समक्ष विशेष संकल्प के रूप में स्वीकृतार्थ। कुल आय 4,50,45,000-00 कुल व्यय 4,47,64,000-00 अंतिम अवशेष- 2,81,000-00	स्वीकार
2.	यू०पी० म्युनिस्पैलिटीज ऐक्ट 1916 की धारा 104(1)(बी) के साथ पठित पालिका रेगुलेशन संख्या 21 में घोषित प्रावधानों के अनुसार गत वर्ष 1992 में गठित पालिका की आठ उपसमितियों का कार्यकाल 31.12.92 को जो समाप्त हो गया, उसे अगामी एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाय अथवा समिति के नये सदस्यों के निर्वाचन हेतु बोर्ड की बैठक दिनांक 29.12.92 के विशेष पूरक कार्य सामग्री के प्रस्ताव सं०5 के अन्तर्गत प्रकाश रखा गया, जिसमें अध्यक्ष सिटी-बोर्ड जौनपुर को इस कार्य हेतु अधिकृत किया गया, के अनुपालन में उपसमितियों के चयन प्रक्रिया में नामांकन की तिथि 1.2.93, नाम वापसी की तिथि 8.2.93, तथा यदि -	प्रस्ताव पढ़ा गया। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में अध्यक्ष जी ने कहा कि इसमें मेरा सुझाव यह है कि श्री गणेश-नारायण रावत, मान्य सभासद ने उप-समितियों के चुनाव की एक सूची बना रखी है, यदि सदन की सहमति हो तो वह सूची सदन को दिखला दी जाय, यदि सदन द्वारा उनकी सहमति मिल जाती है तो उसे ही मान लिया जाय अन्यथा

प्रस्ताव	निर्णय
प्रस्ताव:- आवश्यक समझा गया तो चुनाव की तिथी 16.2.93 निर्धारित किया गया था। इस सम्बन्ध में नामांकन की तिथि 1.2.93 को नामांकन पत्र दाखिल किये गये, परन्तु नाम वापसी की तिथि 8.2.93 को किसी भी अन्य सभासद द्वारा नाम वापस नहीं किया गया और न ही चुनाव की तिथि 16-2-93 को कोई भी अन्य सभासद चुनाव कराने के लिए उपस्थित हुये, सम्बन्धी स्थिति परिषद के समक्ष इस सम्बन्ध में अंतिम आदेश हेतु।	निर्णय:- पुन: नामांकन आदि की कार्यवाही होगी। आगे श्री रविन्द्रप्रताप सिंह, अन्य सभासद ने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग अथवा जो सभासद इस बैठक में सम्मिलित नहीं हैं, वे मानते ऐसी दशा में उपसमितियों के चयन हेतु निर्धारित सूची सबको दिखा दिया जाय, तब यदि सदन की सहमति पाई जाती है तो उसे स्वीकार किया जाय।
3 शासन द्वारा नगर में भंगी मुक्ति-योजना के तहत सिर पर मैला ढोने तथा ढुलाने सम्बन्धी प्रथा को समाप्त करने विधायक उपविधि को लागू करने सम्बन्धी अधिसूचना जो नागरिकों में प्रचार प्रसार व सुझाव हेतु 24 अप्रैल 1992 को दैनिक समाचार पत्र 'भारत दूत' में प्रकाशित कराया गया, जिस पर निर्धारित अवधि के अन्दर कोई भी आपत्ति अथवा सुझाव आदि नहीं प्राप्त हुए, को लागू किये जाने हेतु परिषद के समक्ष निर्णय विकल्प के रूप में प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।	स्वीकार।

31.7.93

उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा चलायी गयी, चर्चाकाल में श्री गणेशप्रसाद रावत उर्फ मदन रावत, मान्य सभासद ने कहा कि जो लोग गरीब व्यक्ति हैं, उन्हें इस शौचालय को बनवाने का लाभ कैसे दिया जायेगा कि अपना उच्च शौचालय कैसे सुलभ शौचालय में परिवर्तित कर सकेंगे? इसी प्रकार पर श्री रावत जी ने कहा कि जो शौचालय बन रहा है, वह ठीक नहीं है, तब अधिशासी अधिकारी ने कहा कि कृपया उसे दिखलाये, ताकि उस पर वैधानिक कार्यवाही की जा सके।

इसके पश्चात श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह, मान्य सभासद ने कहा कि इस L.C.S के अन्तर्गत बनने वाले ~~शौचा~~ शौचालय को ठेकेदार के माध्यम से बनवाया जा रहा है या कोई अन्य एजेंसी उसे बना रही है, इस पर अध्यक्षा महोदय की अनुमति से अधिशासी अधिकारी ने बताया कि यह शासन की ही एक अलग योजना है, जिसके लिये शासकीय धन सुलभ हो रहा है और उसकी एक अलग एजेन्सी भी है, जिसके द्वारा यह कार्य पालिका के ही जलकल अभियन्ता। अवर अभियन्ता की देखरेख में हो रहा है।

चर्चा को आगे बढ़ाते हुये श्री अनासना मान्य सभासद ने कहा कि इसके पूर्व यह योजना शासन से ही आयी थी, जिसका कार्यान्वयन उस समय नहीं किया गया, इस पर जलकल अभियन्ता ने बताया कि यह L.C.S के अन्तर्गत शौचालय निर्माण की योजना अप्रैल 92 में आयी थी, जिसे लागू किये जाने की प्रक्रिया के अन्तर्गत उक्त योजना की बोर्ड की बैठक दिनांक 29-2-92 के द्वारा प्रस्ताव सं. 3 में सबकी स्वीकृति दी गयी ~~थी~~ थी, साथ ही 24-4-92 के समाचार पत्र

एवं आपत्ति एवं सुझाव मांगे गये थे, जिसमें नागरिकों की किसी भी प्रकार की आपत्ति व सुझाव नहीं प्राप्त हुआ। तदनुसार इसे बोर्ड के अनुमोदन हेतु रखा गया है, इस मद में वर्ष 92 में शासन द्वारा अनुदान मिला और तभी से निरन्तर इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और वर्ष 93 से कार्य प्रारम्भ भी किया गया है जहाँ कहीं भी वार्डों के लोगों का आवेदन आया, उनका निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, आगे भी लगातार कार्य [illegible] मान्य सभासद ने इस बात की शिकायत किया कि उक्त प्रकरण में हम जनता के चुने गये सभासदों की उपेक्षा की जा रही है, क्योंकि आवेदन हम सभासदों से कोई परामर्श भी नहीं ली जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत से ऐसे मोहल्ले हैं, विशेषकर नबुआघाट, [illegible], रिजवी खाँ जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ अधिकतर कच्चा शौचालय है और सफाई मुख्य मार्गों पर मैला फैला रहता है, उन मोहल्लों को छोड़ दिया जाता है बल्कि गोमती नदी के किनारे भाग में अधिकांशतः लोगों को इसका लाभ पहुँचाया गया है ऐसा क्यों? क्यों न इस योजना में आये हुए धनराशि को सभी मान्य सभासदों के क्षेत्रों में बराबर-बराबर बाँट दिया जाय, तो किसी में असन्तोष की भावना न हो। इस पर सदन में आम सहमति पायी गयी और अध्यक्ष महोदय द्वारा जलकल अभियन्ता को तदनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

जलकल अभियन्ता ने सदन को बताया कि इस मद से और भी धन शासन से मिलने की सम्भावना है जिसकी सूचना सभी मान्य सभासद को दी जायेगी कि वे अपने अपने कार्यक्षेत्र में बनने वाले शौचालयों की सूची अपनी अपनी संस्तुति के साथ देंगे ताकि उसी के अनुरूप कार्यवाही की जा सके।

31-3-83

इसके साथ ही मान्य सभासदों की मांग के अनुसार यदि आवश्यकता समझी गयी तो नये [illegible] दान की मांग हेतु लिखा जायेगा।

श्री भरत रावत सभासद ने कहा कि यदि सफाई हवलदार अपने अपने क्षेत्र के सभासदों से मिलें, तो इस ओर अधिक कार्यवाही की जा सकेगी। और जनता में व्यापक प्रचार प्रसार हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इसी प्रकार की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय, जिस पर सदन की सहमति पायी गयी।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मुझे विदित है कि परिषद की पूर्व बैठक में यह पारित हो चुका है कि क्षेत्रीय सफाई हवलदार अपने अपने मान्य सभासदों से सम्पर्क बनाये रखा करें और दैनिक रूप से मान्य सभासद के पास जाया करें और उनके निर्देश व सुझाव को नोट किया करें, यदि इस दैनिक सम्पर्क को सप्ताह में मात्र एक दिन के लिए रख दिया जाय, तो ठीक नहीं होगा? इस पर मान्य सभासद श्री [illegible] उर्फ [illegible] ने कहा कि यहां कार्य दो पालियों में होता है, एक तो प्रातः प्रथम पाली और द्वितीय सायंकाल दूसरी पाली में। सफाई कार्य दूसरी पाली में नहीं होता और इसी पाली में गड़बड़ी होती है क्योंकि कुछ न कुछ स्वच्छकार कभी दूसरी पाली में गायब रहते हैं, तो मैं तो यही उचित समझता हूं कि सफाई हवलदार का सम्पर्क मान्य सभासदों से एक सप्ताह में कम से कम दो दिन अवश्य होना चाहिये, जिस पर सदन की सहमति पायी गयी और यह तय पाया गया कि [illegible] एवं कुशलता का निर्णय निश्चित

लिया जाता है जिसके अनुपालन में प्रत्येक सफाई व्यवस्था कार्य अनुपालन उत्तरदायी होंगे। और इस निर्णय को प्रत्येक सफाई व्यवस्था कार्यवाही अधिकारी के समक्ष माननीय तथा अध्यक्ष महोदय के समक्ष एक बार अवश्य रखा होंगे।

प्रस्ताव :-	निर्णय
पत्रांक बाबत नगर क्षेत्र के अन्तर्गत पालिका भूमि / सड़क / गली आदि में विद्युत विभाग द्वारा लगाये गये विद्युत खम्भों, ट्रान्सफार्मरों, सब-स्टेशनों आदि पर नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298(2) सूची प्रथम शीर्षक (ज) के उपखण्ड (ख) के अधीन उपविधियों के अनुसार, बोर्ड की विनाय स्थिति को दृष्टि की दिशा में निम्नांकित अनुसूची के अनुसार कर लगाने का प्रस्ताव विशेष संकल्प के रूप में परिषद के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।	सर्व सम्मति से स्वीकार। जैसे ना कार्यवाही की जाय।

सं	शुल्क अनुसूची	शुल्क प्रति वर्ष (वर्तमान बाजार भाव के अनुसार)
1.	प्रति पोल बिजली प्रवाह हेतु	85.00
2.	प्रति सब स्टेशन, ट्रान्सफार्मर एवं जमीन पर फाउन्डेशन बनाकर रखा गया है।	3,000.00
	ट्रान्सफार्मर जो छोटे आकार का है, और दो खम्भों पर रखा गया है।	1,200.00

नोट :- उक्त शुल्क का भुगतान प्रति वर्ष मार्च माह में सम्बन्धित विभाग द्वारा स्थानीय निकाय को करना होगा। यदि विभाग नगद भुगतान न करके बिजली के बिल के समायोजित करना चाहे

विशेष प्रस्ताव 31.3.93

प्रस्ताव	निर्णय:
जो उसका भी प्राविधान किया जा सकता है, के सम्बन्ध में राजस्वप्रभारी की आख्या दिनांक 24.3.93 प्रस्तुत के समक्ष अनुमोदन हेतु।	
(5) 5- पत्रादि बावत नगर क्षेत्र के अन्तर्गत चलने वाले रिक्शा, ठेलका, बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी इक्का आदि वाहनों के लिये नगर-पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 (एन0)(ती) के अन्तर्गत म्युनिसपल बाईलाज में बताये गये उपरोक्त वाहनों के लिये निर्धारित लाइसेन्स शुल्क में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव जो बोर्ड की बैठक दिनांक 22.10.92 के प्रस्ताव सं0 19 के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया एवं नागरिकों से आपत्ति एवं सुझाव मांगे जाते हैं। दैनिक समाचार पत्र जीवनमाल के दिनांक 8.1.93 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया कि यदि किसी व्यक्ति / फर्म को कोई आपत्ति उपरोक्त शुल्क बढ़ोत्तरी के कारण हो तो वे अपने आपत्ति अथवा सुझाव प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित आपत्ति	सर्व सम्मति से स्वीकृत। कार्यवाही की जाय।

अथवा सुझाव सिटी बोर्ड कार्यालय में ई.ई. के अनुपालन में निर्धारित अवधि के अन्दर कोई भी आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः वाहनों पर प्रस्तावित शुल्क को लागू किये जाने हेतु विशेष संकल्प के रूप में प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।

6.	पत्रादि बाबत जौनपुर विकास क्षेत्र में आन्तरिक विकास शुल्क व पार्किंग चार्ज में बाह्य विकास शुल्क की दरें लागू किये जाने हेतु अन्य सिटी बोर्ड / विकास प्राधिकरणों में लागू दरों की जानकारी प्राप्त करके जौनपुर सिटी बोर्ड के विकास हेतु अन्य पालिकाओं की भाँति बाह्य विकास शुल्क एवं पार्किंग चार्ज लागू किये जाने विषयक प्रस्ताव विशेष संकल्प के रूप में परिषद अनुमोदन हेतु।	सर्वसम्मति से स्वीकार। अग्रेतर कार्यवाही की जाय।
7	पत्रादि बाबत नगर क्षेत्र के रिक्शों की तहबाजारी शुल्क के निमित्त नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 (2) (ई) (बी) के अन्तर्गत नगर पालिका जौनपुर (अब सिटी बोर्ड जौनपुर) के लिए म्युनिसिपल बाईलाज में बताये गये तहबाजारी शुल्क की दरों में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव बोर्ड की बैठक दिनांक 22.10.92 के प्रस्ताव संख्या 18 के अन्तर्गत स्वीकृत	सर्वसम्मति से स्वीकार। अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

Scanned with OKEN Scanner

विशेष प्रस्ताव

31.3.93

	प्रस्ताव।	निर्णय।
7.	किया गया तथा नागरिकों से आपत्ति एवं सुझाव माँगे जाने हेतु दैनिक समाचार पत्र स्वतंत्रभारत के दिनांक 4.1.93 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया कि यदि किसी व्यक्ति/फर्म आदि को कोई आपत्ति उक्त तहबाजारी शुल्क की बढ़ोत्तरी के कारण हो तो वे अपनी आपत्ति एवं सुझाव प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित आपत्ति अथवा सुझाव - सिटी-बोर्ड जौनपुर के कार्यालय में दे दें के क्रम में निर्धारित अवधि दिनांक 3.2.93 के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए है। अतः तहबाजारी शुल्क की प्रस्तावित दरों को लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव विशेष संकल्प के परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु	
8.	आवेदनपत्र श्री कैलाशनाथ सिंह, पालिका अधिवक्ता व श्री राजकुमार सिंह, पालिका अधिवक्ता दिनांक 21.10.92 बावत शासनादेश संख्या 3डी/4872/सात-न्याय-3-85/80 दिनांक 29.12.80 के अनुसार सरकारी अधिवक्ताओं	शासनादेश के अनुसार शासकीय अधिवक्ताओं की भाँति पालिका अधिवक्ता श्री कैलाश नाथ सिंह व श्री राजकुमार सिंह अधिवक्ता को एक एक हजार रुपये

विशेष संकल्प 31-3-13

निर्णय

प्रस्ताव :-

नोटिस में संशोधन किया गया है, क्यों रिटेनर फीस दिए जाने के संदर्भ में शासकीय अधिवक्ताओं की भांति पालिका अधिवक्ता जाय एवं वादों के निस्तारण में दिये जाने वाले फीस का रु० एक हजार रुपये प्रतिमाह क्यों न रिटेनर फीस एवं शासकीय आदेश में नियमानुसार भुगतान वादों के निस्तारण में किया जाय। के मुताबिक दिए जाने वाले फीस के अनुरूप फीस का भुगतान किया जाय, सम्बन्धी प्रस्ताव विशेष संकल्प के रूप में परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु।

1. आवेदनपत्र श्री राधेश्याम शुक्ला अधिवक्ता कलेक्ट्रेट जौनपुर सदन द्वारा मेरिट पर निर्णय होने वाले वाद कि पालिका वादों के निस्तारण का 50/- पचास रुपये हेतु बहुत पुरानी दर से 35/- तथा कनक्लूजन (घाती प्रति केस की दर से पारिश्रमिक जुल्म स्वीकार करने पर) भुगतान किया जाता है, को वर्तमान वाद में रु.35/- प्रति वाद मेंहगाई हाल्फिगत रखते हुये दिया जाना स्वीकार। पारिश्रमिक हेतु वादों का निस्तारण का मूल्य बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विशेष संकल्प के रूप में परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु।

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
अधिशासी अधिकारी
सिटी बोर्ड
जौनपुर
31.3.13

कृष्णकुमार
(डा० कृष्ण कुमार)
अध्यक्ष,
सिटी बोर्ड
जौनपुर
31.3.13

लेखक :- महेशतनपाध्याय, प्रधान लिपिक

Scanned with OKEN Scanner

पूरक विशेष कार्यसामग्री अ.3 P3

प्रस्ताव	निर्णय
1. कर्मचारी बाबत पालिका हित में कार्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा पालिका हित में किये गये विविध मदों (कार्य) एवं अन्य आवंटन, दुकान, परिषद के समक्ष स्वीकृति व अनुमोदनार्थ।	स्वीकार
2. नगर क्षेत्र स्थित विभिन्न प्याऊओं के ठेकेदारी बस स्टैण्ड की नीलामी वर्ष 2023-24 के लिये कराई गयी है, जिसका परिषद अनुमोदनार्थ। जिसका निम्नप्रकार है।	सर्वसम्मति से स्वीकार।

क्रमांक	ठेकेदार का नाम व पता	प्याऊ का नाम	नीलामी की धनराशि
1.	श्री अशोकानन्द मिश्र पुत्र श्री रामाशीष मणि मिश्र, नेवादा, लाइनबाजार जौनपुर	वाराणसी रोड	51153.00 ✓
2	श्री सांवले सिंह पुत्र राजमणि सिंह, ख्वाजादोस्त जौनपुर	आजमगढ़ रोड	65,601-00 ✓
3.	श्री मुकेश कुमार ~~सिंह~~ श्रीवास्तव पुत्र श्री सुधाकर लाल श्रीवास्तव, मो० शाहबुद्दीनपुर जौनपुर	बदलापुर रोड	1,21,111-25 ✓
4.	श्री दिनेश कुमार तिवारी पुत्र श्री कुमुदेश्वर नाथ तिवारी, ग्राम धुरहूपुर - पो० देवकली जौनपुर	इलाहाबाद रोड	81,999.99 ✓
5.	श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री राजकिशोर सिंह ग्राम भूतहा पो० सरायहरखू	मिर्जापुर रोड	85,000-00 ✓

पूरक विशेष कार्य सूची

उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के दौरान डा० पुनीत श्रीवास्तव, मान० सभासद द्वारा गत वर्ष की नीलामी का विवरण पूछा गया, जिसे राजस्व प्रभारी ने सदन में बताया।

क्र०	पड़ाव का नाम	वर्ष 92-93 की नीलामी धनराशि	वर्ष 1993-94 की नीलामी धनराशि	अपेक्षाकृत बढ़ोत्तरी
1.	वाराणसी रोड	12,500.00 ✓	41,153.00 ✓	28653.00
2.	आजमगढ़ रोड	65,500.00 ✓	65,601.00 ✓	101.00
3.	बदलापुर रोड	80,000.00 ✓	1,21,111.25 ✓ पच्चीस पैसा	41,111.25
4.	इलाहाबाद रोड	33,000.00 ✓	81,999.99 ✓ (एक्यासी हजार नौ सौ निन्यानबे रुपया निन्यानबे पैसा)	48999.99
5.	मिर्जापुर रोड	60,500.00 ✓	85,000.00 ✓	24,500.00
		2,51,500.00	3,94,865.24	1,43,365.24

इस प्रकार वर्ष 1993-94 की नीलामी गत वर्ष की अपेक्षा अधिक रही, जो सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी।

प्रस्ताव	निर्णय
3. पत्रावलि बाबत श्री ज्वाला प्रसाद, परिचालक, जो इस पालिका की सेवा करते हुये दिनांक 28.2.93 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, के सुखमय जीवन के लिये यह पालिका शुभकामना करती है, परिषद उपरोक्त स्वीकार।	पढ़ा गया। सेवानिवृत्त कर्मचारी के सुखमय जीवन की कामना की गयी।
4. पत्रावलि बाबत श्री अशफाक अहमद, चुंगी मोहर्रिर, जो इस पालिका की सेवा करते हुए दिनांक 28.2.93 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, के सुखमय जीवन के लिए यह पालिका शुभकामना करती है, परिषद स्वीकार।	पढ़ा गया। सेवानिवृत्त कर्मचारी के सुखमय जीवन की कामना की गयी।

पृथक विशेष कार्य सामग्री 31.3.93

	प्रस्ताव :-	निर्णय।
5.	पत्रादि बाबत श्री गजराज सिंह, कार्यालय अधीक्षक, सिटी बोर्ड जोबनेर, जो इस पालिका की सेवा करते हुये दिनांक 31.3.93 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके सुखमय जीवन की यह पालिका कामना करती है, अस्तु सिटी बोर्ड जोबनेर में रिक्त कार्यालय अधीक्षक के पद पर नियुक्ति अधिकारी की स्वीकृति एवं अध्यक्ष की स्वीकृति के अनुसार श्री महेशनारायण वरिष्ठ प्रथम श्रेणी लिपिक कार्यालय अधीक्षक पद हेतु अर्ह हैं एवं उनके कार्य निस्तारण की सक्षमता को दृष्टिगत रखते हुए, कार्यालय अधीक्षक पद पर कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है, सम्बन्धी प्रकरण पारित अनुमोदन हेतु।	पढ़ा गया। सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक श्री गजराज सिंह के सुखमय जीवन की कामना की गयी एवं उनके सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त कार्यालय अधीक्षक के पद पर, श्री महेशनारायण वरिष्ठ प्रथम लिपिक, को उनके मूल पद के कार्य के साथ साथ, कार्य सम्हालने हेतु सर्वसम्मति से सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।
6.	पत्रादि बाबत श्री दीनानाथ शर्मा, कर निरीक्षक, जो इस पालिका की सेवा करते हुए दिनांक 31.3.93 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, के सुखमय जीवन के लिए, यह पालिका कामना करती है, पारित सूचनार्थ।	पढ़ा गया। सेवानिवृत्त कर्मचारी के सुखमय जीवन की कामना की गयी।
7.	पत्रादि बाबत सचिव, नगर निकाय अनुभाग-6, उ.प्र. लखनऊ के अर्धशासकीय पत्रांक 1199(2)	

विशेष प्रेरक कार्य सामग्री

प्रस्ताव	निर्णय
9-6-93 #49 कौम्य 185 दिनांक 27.3.93 के अनुपालन में सिटी बोर्ड जौनपुर के पूर्व अध्यक्ष श्री सीताराम यादव, पदच्युत कर दिये गये हैं, एवं जिलाधिकारी जौनपुर के आदेश पत्र संख्या 1675/एस०टी०/92-93 दिनांक 28 मार्च 93 के अनुपालन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा० कृष्णकुमार को सिटी बोर्ड जौनपुर के अध्यक्ष के कृत्यों को सम्पादित करने के लिये अधिकृत किया गया है, के क्रम में डा० कृष्णकुमार, सिटी बोर्ड जौनपुर के अध्यक्ष पद पर दिनांक 29.3.93 से कार्यरत है, परिषद समक्ष प्रस्तावित।	पढ़ा गया। श्री सीताराम यादव, पूर्व अध्यक्ष के पदच्युत होने की सूचना सदन को अवगत करायी गयी। डा० कृष्णकुमार के अध्यक्ष पद पर पदासीन होने के लिए उन्हें बधाई दी गयी।

चर्चा काल के दौरान श्री अनसरजा, उर्फ मुन्ना जी, माननीय सभासद ने कहा कि मैं इस बात पर अनुरोध करना चाहूँगा पूर्व में बोर्ड की बैठकों में यह अनुरोध कर चुका हूँ कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नारकीय जीवन यापन ~~[illegible]~~ इस कारण बिताना पड़ता है कि उनके सेवानिवृत्त हो जाने पर उन्हें देय ग्रेच्युटी, पेंशन, जी०पी०एफ० तथा सेवानिवृत्ति की तिथि को देय अर्जित अवकाश के समतुल्य वेतन का भुगतान नहीं हो पाता जिसके कारण वे क्षुब्ध एवं संतप्त रहते हैं। उन्होंने सदन में यह सुझाव दिया कि एक विशेष कोष स्थापित किया जाय, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सभी देयों का भुगतान सम्भव हो सके। यहाँ पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बार-बार यह कह कर दौड़ाया जाता है कि उनके कागजात लखनऊ, इलाहाबाद आदि कार्यालयों में लम्बित हैं और वहाँ पर जाने की बात कही जाती है, जो

31.3.93

उनकी शान्ति के लिए होती है। भइया जी ने यह भी कहा कि न मालूम कितने मृतक आश्रित कार्य कर रहे हैं लेकिन मृतक देय पावना का भुगतान नहीं किया गया है, जिस पर अध्यक्ष महोदय ने भी सहमति दी कि ऐसे मामलों पर प्रथम वरीयता प्रदान की जायेगी।

उपरोक्त समस्या के निदान की दिशा में बकाया की स्थिति को स्पष्ट करते हुए मुख्य-[illegible] अधिकारी महोदय ने बताया कि कर्मचारियों का उनका पूर्व का 65.00 लाख रुपये बकाया है, जिसके लिए शासन से अनुदान की मांग की गयी है। शासन से इस बात के लिए अनुरोध किया गया है कि चुंगी नाकाओं की नीलामी का जो 16.00 सोलह लाख रुपया जमा है, उसकी स्वीकृति यदि शासन से प्राप्त हो जाय तो उसमें से 10.00 दस लाख रुपये कर्मचारियों के बकाया भुगतान में उपयोग कर लिया जायेगा और उनके लिए सूची बना दी जायेगी, जिनके क्रम में ही उनके (सेवानिवृत्त / मृतक कर्मचारियों) बकाया को जमा कराया जायेगा।

चर्चाकाल के ही दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा यह जानकारी दी गयी कि अधिशासी-अधिकारी श्री सत्यप्रकाश पाण्डेय, अधिशासी-अधिकारी उत्तर-प्रदेश संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष चुने गये हैं, जिसके लिये उपस्थित सभी माननीय सभासदों द्वारा श्री पाण्डेय अधिशासी-अधिकारी को बधाई दी तथा अध्यक्ष जी द्वारा श्री पाण्डेय जी को साधुवाद कहा गया। इसी क्रम में परिषद लिपिक ने सदन को यह भी अवगत कराया कि श्री सत्यप्रकाश पाण्डेय, अधिशासी-अधिकारी को उनके द्वारा सिटी-बोर्ड जौनपुर में किये गये विशिष्ट कार्यों के सम्मान में दिनांक 5-5.93 को निदेशक स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ की उपस्थिति में

अभिनन्दन पत्र, नगर पालिका कर्मचारी संघ जौनपुर की ओर से दिया जायेगा, जिस पर सदन में उपस्थित मान्य सभासदों पालिका अधिकारियों / कर्मचारियों ने श्री पाण्डेय जी के प्रति आभार व्यक्त किया।

चर्चाकाल में श्री अनवरुज्जा उर्फ भइया जी ने डा० कृष्णकुमार के अध्यक्ष पद भार की खुशी में विशेष रूप से बधाई दिया और यह कहा कि शासन द्वारा 20.25 लाख निर्माण कार्यों के लिए अनुदान मिले हैं, मैं सभासद की हैसियत आपको यह बताना चाहूँगा कि इस समय आपके नगर में जो निर्माण कार्य चल रहा है, उससे नगर की जनता खुश नहीं है, क्योंकि कार्य एवं उसकी गुणता ठीक नहीं है अफसोस की बात यह है कि कार्य की गुणता (Quality) ठीक नहीं है, और अवर अभियन्ता को कार्य से अवगत नहीं कराया गया है।

डा० सुनील श्रीवास्तव, मान्य सभासद, अनवरुज्जा उर्फ भइया जी की बातों का समर्थन करते हुए यह कहा कि जो भी निर्माण कार्य कराये गये हैं, उसका अनुमोदन क्षेत्रीय सभासद से लेने के पश्चात ही, उसका भुगतान किया जाय और इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, अन्ततोगत्वा यह तय पाया गया कि अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष महो० इस पर बैठकर विचार विमर्श कर लेंगे, जिसमें 'भइया जी' भी रहेंगे, जिसके लिए 8.4.93 की तिथि निश्चित की गयी।

डा० सुनील श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि सचिव / अधिशासी अधिकारी महोदय से यह पूछना चाहूँगा कि पूर्व चेयरमैन में जो अधिकार निहित थे, क्या वही अधिकार वर्तमान चेयरमैन में निहित होंगे - इस पर अधिशासी अधिकारी ने कहा कि इसके लिये नियम देखना पड़ेगा, तब अध्यक्ष डा० कृष्णकुमार के माँग पर पीठ लिपिक श्री महेश-नारायण ने दिनांक 25-2-89 की कार्यवाही निकाल कर सदन के समक्ष पढ़ी, जिसमें प्रस्ताव संख्या 11 पर सिटी-बोर्ड जौनपुर के दैनिक कार्य संचालन हेतु अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी को वित्तीय शक्तियों का

प्रतिनिधायन सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। पारित प्रस्ताव में केवल "अध्यक्ष" शब्द आया हुआ है अतः इसी आधार पर यह पारित किया गया कि वर्तमान अध्यक्ष में पूर्व अध्यक्ष के सभी अधिकार एवं दायित्व निहित रहेंगे। इस सम्बन्ध में अधिशासी-अधिकारी ने बताया कि इसे विशेष प्रस्ताव के तहत बोर्ड की अगली बैठक में लाया जायेगा, जिस पर नियमानुसार आगे कार्यवाही की जायेगी।

(सत्यप्रकाश पाण्डेय)
अधिशासी-अधिकारी
सिटी-बोर्ड धौलपुर
31.3.93

कृष्ण कुमार
(डा० कृष्ण कुमार)
अध्यक्ष,
सिटी-बोर्ड धौलपुर
31.3.93

लेखक - महेशपाल
प्रथम लिपिक / कार्यालय अधीक्षक,
सिटी-बोर्ड धौलपुर